वि.दां.प्र.क. 46/2022 सुकांती प्रति सहदेव विशाल वगै0

आज दिनांक 01.10.2025 को साक्षी कमांक 01 सहदेव विशाल, पिता श्री धनपत विशाल को पुनः शपथ दिलाकर शेष प्रति परीक्षण द्वारा श्री जयगोपाल अग्रवाल अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त प्रारम्भ किया गया।

समय 01:09 पी.एम.

12. यह कहना सही है कि परिवादी सुकांती मेरे, मेरी मॉ एवं मेरी बहन के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का केस की थी। यह कहना सही है कि दहेज प्रताड़ना के केस के बाद मेरी मॉ ने आवेदिका के खिलाफ टोन्ही प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था, स्वतः कहता है कि दहेज प्रताड़ना के केस में हमलोग बरी हो गये थे, उसके बाद वर्ष 2019 में आवेदिका ने मेरी मॉ के साथ मारपीट आदि की घटना की थी तब मेरी मॉ ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसे सजा भी हुई थी। यह कहना गलत है कि परिवादिनी के द्वारा किये गये दहेज प्रताड़ना के केस मे हमलोग अन्दर गये थे, इसलिए इसी रंजीश के कारण मेरी मॉ टोन्ही प्रताड़ना एवं घरेलू हिंसा का केस की थी।

13. यह कहना सही है कि टोन्ही प्रताड़ना के केस में हमलोग का पुलिस मे बयान हुआ था। यह कहना सही है कि इस न्यायालय में भी बयान हुआ था। यह कहना गलत है कि टोन्ही प्रताड़ना के केस मे बयान में मेरे एवं मेरे भाई कौशल किशोर द्वारा पुलिस बयान एवं न्यायालयीन कथन मे यह बताया गया है कि दहेज केस में सुकांती से हमलोग का समझौता हुआ है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सुकांती द्वारा रायपुर थाना मे दिनांक 16.06.2020 को मेरे एवं मेरे परिवार के विरूद्ध इस बात की रिपोर्ट की थी कि ''आवेदिका सुकांती अलग कमरा मे रहती थी जो पानी टपकने से मरम्मत करा रही थी, तो आप लोग मरम्मत कराने से मना कर दिये, पानी बिजली बन्द कर दिये, गाली गलौज कर मारपीट किये तथा सुकांती को घर से भगा दिये।''

14. मुझे आज याद नहीं है कि उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर संभागीय दण्डाधिकारी राजपुर के न्यायालय में इस्तगासा कमांक 585/2023 मेरे, मेरे पिताजी धनपत विशाल, मॉ प्रेमशीला विशाल, भाई कौशल किशोर के विरूद्ध धारा 107, 116(3) दं0प्र0सं0 का प्रकरण कायम किया गया था। मुझे यह भी याद नहीं है कि उपरोक्त प्रकरण में हमलोग के ओर से कोई जवाब प्रस्तुत किया गया था।

15. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपका सैलरी कितनी है तब साक्षी कहता है कि लगभग पैतालिस हजार रूपये है। यह कहना गलत है कि मेरे छोटे भाई कौशल किशोर की पत्नी का हमलोग से विवाद चल रहा है, स्वतः कहता है कि उसका तलाक हो चुका है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपके छोटे भाई की पत्नी का तलाक होने का आधार क्या था तब साक्षी कहता है कि उसकी पत्नी

चारित्रहीन थी, इसलिए तलाक हुआ। यह कहना सही है कि मेरा भाई कौशल किशोर शादी के दो माह बाद ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे परिवार एवं मेरे भाई कौशल किशोर के विरूद्ध पत्थलगांव न्यायालय मे दहेज प्रताड़ना एवं घरेलू हिंसा का केस चला था।

16. यह कहना गलत है कि मै और मेरे माता–पिता एवं मेरा भाई एक साथ एक ही घर मे रहते हैं। यह कहना गलत है कि मै सुकांती के चरित्र के उपर शंका करता था। यह कहना गलत है कि मै इस संबंध मे पूर्व के बयान मे न्यायालय में कथन दिया हूं। यह कहना गलत है कि मै न्यायालय मं झुठा बयान दे रहा हूं।

<u>समय 01:40 पी.एम.</u>

गवाह को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(आलोक पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

मेरे निदेशन पर टंकित।

सही/–
(आलोक पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)